पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं.586

थाना कांड सं.-321 वर्ष-2020 थाना-सबौर जिला-भागलपुर, से निवासी

==========

दीपाक कुमार उपेंद्र मंडल का पुत्र ग्राम - सिमरो, थाना- साबौर, जिला - भागलपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थी

==========

साथ में

2023 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 857

थाना कांड सं.-321 वर्ष-2020 थाना-सबौर जिला-भागलपुर, से उत्पन्न

==========

निकेश मंडल @निकेश कुमार पुत्र- सुनील मंडल ग्राम-सिमारो, थाना-सबोर से उत्पन्न

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थी

==========

भारतीय दंड संहिता-- धारा 363,366 ए, 376,120 बी-पॉक्सो अधिनियम-धारा 4,17---अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप सूचक की नाबालिग बेटी (पीड़ित) को शादी के उद्देश्य से लुभाने के लिए है-जांच के दौरान अपीलार्थी निकेश मंडल के साथ दिल्ली से बरामद की गई पीड़ित लड़की और उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज किया गया था। दं.प्र.सं. की धारा 161 के ब्यान में तहत दर्ज व्यान में पीड़ित ने कहा कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया और अपीलार्थी निकेश मंडल के साथ शादी कर ली और पिछले दो-तीन महीनों से दिल्ली में रह रही थी, जबकि दं.प्र.सं. की धारा के तहत दर्ज अपने बयान में उसने दोनों अपीलार्थियों को कथित घटना में फंसाने की कोशिश की-- पीड़िता ने समय-समय पर अपना बयान बदला और उसके धारा 161 और 164 के बयान में बड़े विरोधाभास हैं, इसलिए, उसे उत्कृष्ट गवाह नहीं कहा जा सकता है-पीड़ित की उम्र साबित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता-- अभियोजन पक्ष पीड़ित की उम्र साबित करने के लिए रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अलावा कोई दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहा। रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की आयु 14-16 वर्ष के बीच प्रतीत होती है और एक न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा निर्धारित आयु में त्रुटि का अंतर दो वर्ष है-इसलिए, पीड़ित की आयु को सुरक्षित रूप से 16-18 वर्ष के बीच माना जा सकता है-- अभियोजन पक्ष यह साबित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा कि घटना की तारीख को पीड़ित नाबालिग थी-हाल ही में यौन हमले का कोई सबूत नहीं और पीड़ित के निजी हिस्से सहित शरीर पर कोई शारीरिक या रासायनिक चोट नहीं-आक्षेपित निर्णय और आदेश अपीलार्थियों को दोषी ठहराते हुए और सजा देते हुए दरकिनार कर दिया गया।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं.586

थाना कांड सं.-321 वर्ष-2020 थाना-सबौर जिला-भागलपुर, से निवासी

==========

दीपाक कुमार उपेंद्र मंडल का पुत्र ग्राम - सिमरो, थाना- साबौर, जिला - भागलपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थी

==========

साथ में

2023 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 857

थाना कांड सं.-321 वर्ष-2020 थाना-सबौर जिला-भागलपुर, से उत्पन्न

==========

निकेश मंडल @निकेश कुमार पुत्र- सुनील मंडल ग्राम-सिमारो, थाना-सबोर से उत्पन्न

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थी

==========

उपस्थिति:

(2023 के आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 586 में)

अपीलार्थी के लिएः श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री राकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ताः श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

(2023 के आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 857 में)

अपीलार्थी के लिएः श्री प्रवीण कुमार, अधिवक्ता श्री रोशन कुमार, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ताः श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तिथी: 28-02-204

अभियुक्त दीपक कुमार द्वारा 2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं.586 विद्वान विशिष्ठ विशेष न्यायालय (पाक्सो अधिनियम) सहसप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, भागलपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 02.05.2023 और सजा के आदेश दिनांक 09.05.2023 के विरुद्ध दायर की गई है। सबौर (गोराडीह) थाना केस No.321/2020 से उत्पन्न पॉक्सो मामले सं.31/2021 में विद्वान विशेष विशेष अदालत (पॉक्सो अधिनियम)-सह-7वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भागलपुर, जिसके तहत उक्त अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए, 376/120 बी के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 4/17 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4/17 के तहत 20 साल के लिए आर. आई. और रु. 20,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर उसे छह महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरने की सजा सुनाई गई है। अपीलार्थी, अर्थात् दीपक कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए के तहत 5 साल के लिए कठोर कारावास और 1,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है और जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे तीन

महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरने की सजा सुनाई जाती है। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

1.1. अभियुक्त निकेश मंडल @निकेश कुमार द्वारा 2023 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं.857 अभियुक्त विशेष अदालत (पॉक्सो अधिनियम)-सह-7वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भागलपुर द्वारा पॉक्सो मामले में पारित दोषी ठहराए जाने के निर्णय दिनांक 12.07.2023 और सजा के आदेश दिनांक 19.07.2023 के खिलाफ दायर की गई है, जो सबौर (गोराडीह) थाना मामले सं.321/2020 से उत्पन्न होता है, जिसमें उक्त अपीलार्थी को भा.द.सं. की धारा 363,376/120 (बी) के साथ-साथ पॉक्सो अधि. की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 साल के लिए कठोर कारावास और Rs.20,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, उसे छह महीने के लिए साधारण कारावास गुजरने की सजा सुनाई गई। अपीलार्थी, निकेश मंडल उर्फ निकेश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 2 साल के लिए कठोर कारावास और 1,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है और जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे तीन महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरने की सजा सुनाई जाती है। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

1.2 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42 के तहत प्रावधान के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 376/120 (बी) के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों को कोई अलग सजा नहीं दी जाती है।

2. चूंकि दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य समान है, इसलिए इन दोनों अपीलों को पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों की सहमति से अंतिम निपटारे के लिए लिया जा रहा है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। हालाँकि, चूंकि दोनों आरोपी जमानत पर थे और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के बाद, दोनों

आरोपी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए, गैर जमानती वारंट जारी किया गया और जिसके अनुसार शुरू में दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया और इसलिए, निचली अदालत ने मई, 2023 में उनके खिलाफ अलग आदेश पारित किया। इसके बाद, आरोपी निकेश मंडल उर्फ निकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया और इसलिए, जुलाई, 2023 में, निचली अदालत ने उक्त आरोपी-अपीलकर्ता निकेश मंडल उर्फ निकेश कुमार के मामले में आदेश पारित किया।

3. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार हैः पीड़ित की माँ द्वारा 12.11.2020 पर एक लिखित रिपोर्ट/शिकायत दी गई जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा है कि 10.11.2020 को 04:00 अपराह्न निकेश मंडल उसके घर आए और उसकी बेटी को शादी के लिए लुभाया। जब शिकायतकर्ता ने निकेश मंडल के पिता सुनील मंडल, निकेश मंडल के चाचा अनिल मंडल, निकेश मंडल के चाचा संतोष मंडल, निकेश मंडल के भाई राजेश मंडल, निकेश मंडल के भाई ब्रजेश मंडल और दीपक कुमार को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने उसे गाली देना शुरू कर दिया।

3.1 उक्त लिखित शिकायत के आधार पर, 16:45 बजे 12.11.2020 को औपचारिक प्राथमिकी सबौर थाना में दर्ज की गई।

3.2 प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, जाँच अधिकारी ने जाँच की और जाँच के दौरान, पीड़ित लड़की के साथ-साथ आरोपी निकेश मंडल वे दिल्ली में पाए गए और उन्हें भागलपुर लाया गया। जाँच के दौरान जाँच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए थे। संहिता की धारा 161 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज किया गया। इसके तुरंत बाद संहिता की धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान संबंधित दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया। इसके बाद जांच अधिकारी ने संबंधित सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

4. अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों से पूछताछ की है और दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। बचाव पक्ष ने चार गवाहों से भी पूछताछ की है और उससे पहले संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया था। मुकदमे के समापन के बाद, निचली अदालत ने दो अलग-अलग निर्णय पारित

किए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, और दोनों मामलों में, संबंधित अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया, जिसके खिलाफ संबंधित दोषियों ने संबंधित अपील दायर की, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

5. श्री रमाकांत शर्मा को सुना, विद्‌ान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ता दीपक कुमार के लिए श्री राकेश कुमार शर्मा की सहायता से विद्‌वान वरिष्ठ वकील, श्री प्रवीण कुमार, अपीलार्थी निकेश मंडल उर्फ निकेश कुमार के विद्‌ान अधिवक्ता और श्री सुजीत कुमार सिंह, दोनों अपीलों में विद्‌वान स.लो.अभि.

6. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्‌वान वकील मुख्य रूप से प्रस्तुत करेंगे कि अभियोजन पक्ष निचली अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके पीड़ित की उम्र साबित करने में विफल रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार, लड़की/पीड़ित की उम्र 14-16 वर्ष है। हालाँकि, **जया माला बनाम गृह सचिव, जम्मू और कश्मीर रकार ओर अन्य ए.आई.आर. 1982 एस.सी 1297** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्‌वारा दिए गए निर्णय के अनुसार। में बताया गया है कि दोनों तरफ दो साल की त्रुटियां का अंतर दिया जाना है और इसलिए, पीड़ित की उम्र का इलाज 16-18 वर्षों के बीच किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता स्कूल जाने वाली लड़की थी और वह दीपक कुमार की कोचिंग कक्षा में पढ़ रही थी। इस प्रकार, यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य था कि वह पीड़ित के स्कूल रजिस्टर या जन्म प्रमाण पत्र को अभिलेख में रखे। हालांकि, अभियोजन पक्ष निचली अदालत के समक्ष इस तरह के दस्तावेज पेश प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

6.1 इस स्तर पर, अपीलार्थियों के विद्‌वान वकीलों ने (2013) 7 एस. सी. सी. 263 में रिपोर्ट किए गए **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 7 एस.सी.से 263** में प्रतिवेदित के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्‌वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के बारे में चर्चा की है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और

उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित कानून के प्रावधान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 22 और 23 में पीड़ित की उम्र साबित करने के लिए जांच एजेंसी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर चर्चा की है।

6.2 अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने आगे कहा कि संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में पीड़ित का बयान, संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया उसका बयान और अदालत के समक्ष दिया गया बयान अलग-अलग हैं और उक्त गवाह के बयान में बड़े विरोधाभास हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़िता के अनुसार, एक सुनील ने दिल्ली में रहते हुए उसके साथ बलात्कार किया है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने उक्त सुनील के संबंध में पूछताछ/जाँच नहीं की है।

6.3 आरोपी दीपक कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रमाकांत शर्मा ने कहा कि दीपक कुमार के खिलाफ बलात्कार का आरोप नहीं लगाया गया है, जबकि निकेश मंडल उर्फ निकेश कुमार की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि पीड़ित लड़की ने दंडाधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में विशेष रूप से कहा है कि निकेश की ओर से कोई गलती नहीं थी और एक सुनील ने उस पर बलात्कार किया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दीपक सर ने उसे निकेश मंडल के साथ जबरन दिल्ली भेज दिया है। इसलिए अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि पीड़िता ने संहिता की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज अपने बयान देते समय बलात्कार के संबंध में इन दोनों अपीलार्थियों को फंसाया नहीं है।

6.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू-6, डॉ. अल्पना मित्रा ने यह भी कहा है कि पीड़ित के शरीर पर निजी अंगों सहित कोई शारीरिक या रासायनिक चोट नहीं है और पीड़ित पर हाल ही में यौन हमले का कोई सबूत नहीं है। इसलिए विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं और इसलिए, इन दोनों अपीलों की अनुमति दी जानी चाहिए और निचली अदालत द्वारा पारित विवादित निर्णयों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

7. दूसरी ओर, विद्वान स.लो.अभि. ने यह तर्क देते हुए वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है कि पीड़ित लड़की ने विशेष रूप से अदालत के समक्ष बयान दिया है कि आरोपी निकेश मंडल द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया है और उसने एक अन्य दोषी दीपक कुमार द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में भी बताया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 361,366ए और 376 के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम में निहित प्रावधानों के तत्व आकर्षित होते हैं और इसलिए, निचली अदालत ने विवादित निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है।

8. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है। हमने विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को भी देखा है। अभिलेख से यह पता चलेगा कि लिखित शिकायत पीडिता की मॉ द्वारा 12.11.2020 को दी गई थी जिसमें उन्होने वर्तमान दो अपीलकर्तओं सहित सात लोगों के नामों का उल्लेख किया हे और उसके द्वारा निभाई गई भूमिका का भी उक्त लिखित प्रतिवेदन/शिकयत में वर्णन किया गया है। गौरतलव है कि उक्त लिखित शिकयत 12.11.2020 को 16ः45 बजे औपचारिक प्राथमिकी के रुप में दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि पीडित लडकी और आरोपी निकेश मंडल दिल्ली में मिले थे ओर उन्हें दिल्ली से भागलपुर लाया गया था, पुलिस तुरंत पीडिता का व्यान धारा 161 के तहत दर्ज किया गया। पीडिता ने संहिता की धारा 161 मे तहत दिए गए व्यान में कहाहै कि उसने और निकेश मंडल ने दिल्ली में स्वेच्छा से शादी की थी और वे पति-पत्नी के रुप में रह रहे थे इसके बाद उनके पति के दोस्त ने उनके परिवार पर केस दर्ज कराने की जानकारी दी। इसके बाद उसकी मॉ और पुलिस अधिकारी उसे दिल्ली से गोराडीह थाने ले गए। निकेश मंडल ने उसे साथ चलने के लिए दबाब नहीं डाला। हम शादी करने के लिए तैयार थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि तुरंत पीड़िता को दंडाधिकारी अदालत में ले जाया गया और संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया जिसमें पीड़िता ने कहा है कि वह प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने के बाद अपना बयान दे रही है। उसने आगे कहा है कि 10.10.2022 को, वह दीपक सर की कोचिंग में पढ़ने गई थी। दीपक सर ने उसे निकेश मंडल के साथ दिल्ली जाने की धमकी दी। उन्होने उसे ट्रेन का टिकट

और 2000 रु. दिया। दीपक सर ने उसे निकेश के साथ जबरन दिल्ली भेज दिया। वहाँ वह दो महीने तक निकेश के साथ रही। वह दिल्ली नहीं जाना चाहती थी और फिर दीपक के दोस्त सुनील ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। दीपक हमेशा उसे निकेश को गलत तरीके से फंसाने के लिए कहता था। उन्होंने संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में आगे कहा है कि निकेश ने कुछ भी गलत नहीं किया है। निकेश को झूठा फंसाने के लिए उसे जबरन दिल्ली भेज दिया गया और वह अपने माता-पिता के पास जाना चाहती है।

9. इस स्तर पर, हम अभि.सं.-4, पीड़ित द्वारा अदालत के समक्ष दिए गए बयान को संदर्भित करना चाहेंगे। न्यायालय के समक्ष अपने बयान में उन्होंने निम्नानुसार कहा हैः

9.1 शाम को वह पढ़ाई करने के लिए सिमरोह ग्राम में दीपक सर के घर गई। वहाँ निकेश कह रहा था कि वह उससे शादी कर लेगा। उसने कहा कि वह शादी नहीं करना चाहती। यह आगे अपदस्थ किया जाता है कि दीपक ने उसे पीने के लिए पानी दिया था। पानी पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे। वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को भागलपुर स्टेशन पर पाया। दीपक टिकट लेकर उसे दिल्ली ले गया। उसे किराए के कमरे में रखा गया था। निकेश ने भी उसके साथ जबरन बलात्कार किया। नितेश ने उसके साथ बलात्कार भी किया। इस गवाह ने आगे कहा कि अदालत में खड़े दो अभियुक्तों में से, दाईं ओर खड़े निकेश ने ही उसके साथ बलात्कार किया था। दूसरे आरोपी ने निकेश को उसे ले जाने में मदद की। उसने संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस के समक्ष बयान दिया। पुलिस को दिया गया बयान बिल्कुल सही है। अभि.ग.-4 द्वारा आगे यह बयान दिया गया है कि उसने संहिता की धारा 164 के तहत अदालत के समक्ष बयान दिया था।

9.2 अभि.सं-4, पीड़ित ने अपनी जिरह में कहा है कि पुलिस के सामने दिए गए बयान में उसने कहा था कि दीपक सर ने टिकट लिया था। उसने पुलिस को बताया था कि दीपक ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पानी पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने खुद को भागलपुर स्टेशन पर पाया। इस गवाह ने अपनी जिरह में

आगे कहा कि उसने अदालत में यह भी कहा था कि दीपक ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पानी पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने खुद को भागलपुर स्टेशन पर पाया।

10. इस प्रकार, पीड़ित द्वारा विभिन्न अधिकारियों, अर्थात् पुलिस, विद्वान दंडाधिकारी और विशेष न्यायालय के समक्ष दिए गए उपरोक्त वर्णन से यह कहा जा सकता है कि उसने समय-समय पर अपना संस्करण बदला था। संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में उसने कहा है कि वह स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर निकेश मंडल के साथ चली गई है और उन्होंने शादी कर ली और वे पिछले दो-तीन महीनों से दिल्ली में रह रहे थे।

10.1 हालांकि, संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में, उसने विशेष रूप से कहा है कि निकेश की ओर से कोई गलती नहीं थी और वास्तव में दीपक के दोस्त सुनील ने उसके साथ बलात्कार किया था। उसने आगे कहा है कि दीपक ने उसे जबरन निकेश के साथ दिल्ली भेज दिया। हालाँकि, अदालत के समक्ष बयान देते समय, उसने कथित घटना में दीपक और निकेश दोनों को फंसाने की कोशिश की है।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई उपरोक्त सामग्री से यह कहा जा सकता है कि पीड़ित द्वारा दिए गए संस्करण में बड़े विरोधाभास हैं और उसने समय-समय पर अपनी कहानी बदली है।

12. इस स्तर पर, हम राय के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **संदीप बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2012) 8 एस. सी. सी. 21** में प्रतिवेदित किए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 22 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> “22. हमारी सुविचारित राय में, "उत्कृष्ट गवाह" बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए जिसका संस्करण, इसलिए, अकाट्य होना चाहिए। ऐसे गवाह के कथन पर विचार करते हुए अदालत को इसे बिना किसी हिचकिचाहट के इसके विश्वसनीय मूल्य के लिए स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के

लिए, गवाह की स्थिति सारहीन होगी और ऐसे गवाह द्वारा दिए गए कथन की सत्यता ही उपयुक्त होगी। जो अधिक प्रासंगिक होगा वह प्रारंभिक बिंदु से अंत तक बयान की स्थिरता होगी, अर्थात् उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः अदालत के समक्ष। यह प्राकृतिक और आरोपी के अभियोजन पक्ष के मामलें के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के कथन में कोई छल-कपट नहीं होना चाहिए। गवाह को किसी भी हद तक प्रति परीक्षण का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, उसमैं शामिल व्यक्तियों साथ ही इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह के लिए स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह के कथन का अन्य सहायक सामग्री के प्रत्येक के साथ सह-संबंध होना चाहिए जैसे कि बरामदगी, उपयोग किए गए हथियार, किए गए अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय/कथित कथन को लगातार प्रत्येक अन्य गवाह के कथन से सही रुप से मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू परीक्षण के समान होना चाहिए जहां आरोपी को उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध का अपराधी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई संपर्क नहीं टूटना चाहिए। केवल तभी जब ऐसे गवाह का संस्करण उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ अन्य सभी ऐसे समान परीक्षणों को लागू करने के योग्य बनाता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को "वास्तविक गवाह" कहा जा सकता है। जिनका बयान अदालत द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से कहें तो, अपराध के मुख्य बिन्दु पर कथित गवाह का कथन अखंड रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी प्रस्तुत सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तओं को सामग्री विवरणों में कथित कथन से मेल खाना चाहिए, ताकि अपराध का विचारण करने वाले अदालत को अपराधी को दोषसिद्घ करने के लिए अन्य सहायक सामग्री को छानने के लिए मुख्य कथन पर भरोसा करने में सक्षम बनाया जा सके। ”

13. वर्तमान मामले में, पीड़ित द्वारा दिए गए उपरोक्त अलग विवरण को देखते हुए, उसे उत्कृष्ट गवाह नहीं कहा जा सकता है। अन्यथा संहिता की धारा 161 और 164 के तहत दिए गए अपने बयान में, उसने दोनों वर्तमान अपीलार्थियों के खिलाफ बलात्कार के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया है।

14. इसलिए, अगला प्रश्न, जिसकी जांच की जानी चाहिए, पीड़ित की उम्र के संबंध में है। इस स्तर पर, हम अभि.सं.-5, मदन मोहन यादव, जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख करना चाहेंगे, जिन्होंने पैराग्राफ 13,14 और 15 में कहा हैः

14.1 इस बारे में कोई जांच नहीं की गई कि पीड़िता को टिकट कहां से मिला। पीड़ित की शिक्षा के संबंध में कोई जांच नहीं की गई थी। डायरी में दीपक के *सफाई बेयान* का उल्लेख नहीं किया गया है। पीड़िता ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि दीपक सर ने उसका टिकट लिया था। यहां तक कि बयान में यह भी नहीं कहा गया था कि दीपक ने उसे पीने के लिए पानी दिया था, जिसके कारण उसने पटना उच्च न्यायालय उसे चक्कर आने लगे और बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने खुद को भागलपुर स्टेशन पर पाया। ऐसा नहीं है कि उसने उचित जांच नहीं की और आरोपी को गलत तरीके से फंसाया।

15. इस स्तर पर, हम अभि.सं.-6, डॉ. अल्पना मित्रा द्वारा दिए गए बयान का भी उल्लेख करना चाहेंगे, जो नीचे दिया गया हैः

15.1 “2. मैंने पीड़ित, डी/ओ मोहम्मद की जांच की। कबिल, गाँव- सालपुर, थाना गोराडीह, जिला-भागलपुर जिसे मेरे पास महिला पुलिस सं. 749 रिंकी कुमारी और महिला पुलिस सं 406 के. एम. शिल्पी राज लाये और निम्नलिखित का उल्लेख किया।

ए. निजी अंगों सहित उसके शरीर पर कोई शारीरिक या रासायनिक चोट नहीं है।

बी. उसे जे. एल. एन. एम. सी. एच., भागलपुर के पैथोलॉजी विभाग में भेज दिया गया में शुक्राणु और मूत्र गर्भावस्था परीक्षण के लिए और रेडियोलॉजी विभाग का पता

लगाने के लिए दो सीलबंद योनि स्वैब के साथ। आयु निर्धारण के लिए कलाई, कोहनी और श्रोणि के एक्स-रे के लिए।

3. पहचान का निशान-काला तिल बाईं ओर की गर्दनपर

4. मुझे जेएलएनएमसीएच से 05.02.2021 को रिपोर्ट मिली

ए. ज्ञापन सं.9 के अनुसार दिनांकित 06-01-2021 शुक्राणु नहीं पाया गया और मूत्र गर्भावस्था परीक्षण नकारात्मक है।

बी. एक्स-रे सं.-02 के अनुसार। 02 दिनांक 06-01-2021 के अनुसार आयु रेडियोलॉजिकल आधार पर 14-16 वर्षों के बीच दिखाई देती है।

5. **राय**-वह 14-16 वर्ष की आयु के बीच है और हाल ही में यौन हमले का कोई सबूत नहीं है और कोई गर्भावस्था नहीं है।

6. यह मेडिकल रिपोर्ट मेरे द्वारा अपने स्वयं के लेखन और हस्ताक्षर में तैयार की गई है जिसे मैंने पहचाना है और इसे **साक्ष्य-पीठ/अभि. सं.6** के रूप में चिह्नित किया गया है।

प्रतिपरीक्षण

7. रेडियालॉजी किस डाक्टर ने किया है यह मुझे मालूम नहीं है। मैंने जॉच में पीडिता के शरीर पर कोई फिजिकल इंजूरी नहीं पाया।

8. पीडिता जब मेरे पास जॉच हेतु आइ थी वह पूर्णत स्वस्थ थी। मैने पीडिता पर किसी तरह के जख्म का निशान नहीं पाया।

16. उपरोक्त दो गवाहों के बयान से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष पीड़ित की उम्र साबित प्रस्तुत के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकीलों ने सही तर्क दिया है कि पीड़िता स्कूल में पढ़ रही थी और वह आरोपी दीपक कुमार की कोचिंग कक्षाओं में भाग ले रही थी।

हालांकि, जांच अधिकारी पीड़ित की उम्र साबित प्रस्तुत के लिए उसका स्कूल रजिस्टर या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

16.1 डॉ. अल्पना मित्रा द्वारा दिए गए चिकित्सा साक्ष्य से पता चलता है कि रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की उम्र 14-16 वर्षों के बीच प्रतीत होती है।

17. इस स्तर पर, हम **जरनैल सिंह** (उपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संदर्भित करना चाहेंगे। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ-22 और 23 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> "22. नाबालिग की आयु के निर्धारण के मुद्दे पर, केवल किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (इसके बाद "2007 नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 12 का संदर्भ देने की आवश्यकता है। पूर्व वर्णित 2007 के नियम किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 68 (1) के तहत बनाए गए हैं। ऊपर उल्लिखित नियम 12 निम्नानुसार हैः
>
> "**12. आयु के निर्धारण् में पालन की जाने वाली प्रक्रिया** –(1) कानून के साथ टकराव में किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, अदालत या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति उस उद्देश्य के लिए आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कानून के साथ टकराव में ऐसे किशोर या बच्चे या किशोर की उम्र निर्धारित करेगी।
>
> (2) न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, किशोर या बच्चे या जैसा भी मामला हो, कानून के साथ संघर्ष में किशोर की किशोरता या अन्यथा, प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों के आधार पर, यदि उपलब्ध हो, तय करेगी और उसे अवलोकन गृह या जेल भेजेगी।

(3) कानून के साथ टकराव में एक बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच अदालत या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, साक्ष्य प्राप्त करके-

(क) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और जिसके अभाव में;

(ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख (प्ले स्कूल के अलावा) पहली बार उपस्थित हुई; और जिसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(ख) और केवल उपरोक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक के अभाव में, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो अदालत या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो बच्चे या किशोर को एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम आयु पर विचार करके लाभ दे सकती है।

और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, जो भी मामला हो, उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सा राय पर विचार करने के बाद, उसकी उम्र और खंड (ए) (आई), (बी), (आई) में से किसी एक में निर्दिष्ट साक्ष्य के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करेगा या जिसके अभाव में, खंड (बी) कानून के साथ संघर्ष में ऐसे बच्चे या किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।

(4) यदि कानून के साथ संघर्ष में किशोर या बच्चे या किशोर की आयु अपराध की तारीख को 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी निर्णायक प्रमाण के आधार पर, अदालत या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, उद्देश्य के लिए लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगी जिसमें आयु और किशोरता की स्थिति या अन्यथा घोषित

किया जाएगा। अधिनियम और ये नियम और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) अधिनियम की धारा 7-ए, धारा 64 और इन नियमों के संदर्भ में आगे की जांच या अन्यथा आवश्यक होने के अलावा, अदालत या बोर्ड द्वारा इस नियम के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण की जांच और प्राप्त करने के बाद आगे कोई जांच नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम में निहित प्रावधान उन मामलों के निपटारे पर भी लागू होंगे, जहां उपनियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार किशोरता की स्थिति निर्धारित नहीं की गई है, जिसमें कानून के साथ संघर्ष में किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए अधिनियम के तहत सजा के वितरण की आवश्यकता होती है। ”

23. भले ही नियम 12 केवल कानून के साथ टकराव में एक बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए सख्ती से लागू होता है, हमारा विचार है कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधान उम्र निर्धारित करने का आधार होना चाहिए, यहां तक कि एक बच्चे की भी जो अपराध का शिकार है। क्योंकि, हमारे विचार में, जहां तक अल्पसंख्यकों के मुद्दे का संबंध है, कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे और अपराध का शिकार होने वाले बच्चे के बीच शायद ही कोई अंतर है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, अभियोजक बनाम बी.डब्ल्यू. अभि.सं. 6 की आयु निर्धारित करने के लिए 2007 के नियमों के नियम 12 को लागू करना न्यायसंगत और उचित होगा। आयु निर्धारित करने का तरीका ऊपर निकाले गए नियम 12 के उप-नियम (3) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। उपरोक्त प्रावधान के तहत, नियम 12 (3) में प्रतिपादित कई विकल्पों में से पहले उपलब्ध आधार को अपनाकर बच्चे की उम्र का पता लगाया जाता है। यदि नियम 12 (3) के तहत विकल्पों की योजना में, एक विकल्प पूर्ववर्ती खंड में व्यक्त किया जाता है, तो इसका प्रभाव बाद के खंड में व्यक्त विकल्प पर हावी होता है। उपलब्ध उच्चतम मूल्यांकन विकल्प निश्चित रूप से नाबालिग

की आयु निर्धारित करेगा। नियम 12 (3) की योजना में, संबंधित बच्चे का मैट्रिक (या समकक्ष) प्रमाण पत्र उच्चतम मूल्यांकन विकल्प है। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो किसी अन्य साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। केवल उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में, नियम 12 (3) में उस स्कूल में दर्ज की गई जन्म तिथि पर विचार करने की परिकल्पना की गई है जिसमें बच्चा पहली बार उपस्थित हुआ था। यदि जन्म तिथि की ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध है, तो उसमें दर्शाई गई जन्म तिथि को अंतिम और निर्णायक माना जा सकता है और किसी अन्य सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। केवल इस तरह की प्रविष्टि के अभाव में, नियम 12 (3) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर निर्भरता का प्रतिपादन करता है। फिर भी, यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो संबंधित बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए किसी भी अन्य सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र निश्चित रूप से बच्चे की उम्र निर्धारित करेगा। यह केवल उपरोक्त में से किसी की अनुपस्थिति में है कि नियम 12 (3) चिकित्सा राय के आधार पर संबंधित बच्चे की उम्र का निर्धारण करता है। ”

18. **2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 846** में पुलिस निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए **पी. युवप्रकाश बनाम राज्य** प्रतिनिधि के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 14 से 17 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

“14. जेजे अधिनियम की धारा 94 (2) (iii) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख या संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसके अभाव में निगम या नगर प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और इसके बाद ही ये ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी अनुपस्थिति में ऐसा आयु निर्धारित की जानी है। "एक अस्थिकरण परीक्षण" या "किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण" के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी, अर्थात समिति या बोर्ड या न्यायालय के आदेश। वर्तमान मामले में, स्वीकार किया जाता है कि केवल एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर विचार किया गया था, न कि जन्म प्रमाण पत्र या

मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र पर। Ex. सी1, यानी स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र में पीड़ित की जन्म तिथि 11.07.1997 के रूप में दिखाई गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं बल्कि अदालत द्वारा गवाह, यानी सी. डब्ल्यू.-1 को तलब किया गया था। अभियोजन पक्ष पर हमेशा यह स्थापित करने का भार होता है कि वह क्या आरोप लगाता है; इसलिए, अभियोजन पक्ष को उस दस्तावेज़ पर वापस नहीं किया जा सकता था जिस पर उसने कभी भरोसा नहीं किया था। इसके अलावा, संबंधित राजस्व अधिकारी (उप तहसीलदार) प्रति गवाह-3 ने शपथ लेते हुए कहा था कि जन्म और मृत्यु के संबंध में वर्ष 1997 के रिकॉर्ड गायब थे। चूंकि यह धारा 94 (2) (i) में उल्लिखित दस्तावेजों के किसी भी वर्ग के विवरण का जवाब नहीं देता था क्योंकि यह केवल एक हस्तांतरण प्रमाण पत्र था, इसलिए साक्ष्य सी-1 पर यह मानने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि अपराध के समय एम की आयु 18 वर्ष से कम थी।

15. हाल के एक निर्णय में, ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 3 में यह न्यायालय आयु निर्धारण की आवश्यकता वाले मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की। न्यायालय जे. जे. अधिनियम की धारा 94 के साथ पूर्ववर्ती किशोर न्याय नियमों (जो समान सामग्री में है) के नियम 12 पर विचार कर रहा था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"20. जेजे नियम, 2007 का नियम 12 आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। कानून के साथ टकराव में एक व्यक्ति की किशोरता का फैसला पटना उच्च न्यायालय सी. आर. पर प्रथम दृष्टया किया जाना था। यदि उपलब्ध हो तो भौतिक स्वरुप या दस्तावेजों का आधार। लेकिन न्यायालय या जेजे बोर्ड द्वारा आयु के निर्धारण की जांच साक्ष्य प्राप्त करके की गई थीः (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और जिसके अभाव में; (ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख (प्ले स्कूल के अलावा) पहली बार उपस्थित हुआ; और जिसके अभाव में; (iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। केवल उपरोक्त (i), (ii) और (iii) में से किसी

एक की अनुपस्थिति में, किशोर या बच्चे की आयु घोषित करने के लिए विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जा सकती है। यह भी प्रावधान किया गया था कि जब निर्धारण किया जा रहा था, तो एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम उम्र पर विचार करके बच्चे या किशोर को लाभ दिया जा सकता था। ”

16. किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से जेजे अधिनियम की धारा 94 (2) में विभिन्न विकल्पों के बारे में बोलते हुए, इस अदालत ने संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राजय 4 में फैसला सुनाया

“धारा 94 (2) का खंड (i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख और संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र को उसी श्रेणी (अर्थात् (i) में रखता है। इसके अभाव में श्रेणी (ii) में निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान है। यह केवल (i) और (ii) की अनुपस्थिति में है कि आयु निर्धारण चिकित्सा विश्लेषण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। धारा 94 (2) (ए) (i) उन प्रावधानों पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है जो 2000 के अधिनियम के तहत बनाए गए 2007 के नियमों के नियम 12 (3) (ए) में निहित थे। नियम 12 (3) (ए) (i) के तहत मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी गई थी और यह केवल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कि पहली बार उपस्थित होने वाले स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। धारा 94 (2) (i) में स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख के साथ-साथ मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है।

17. अबुज़र हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 5, इस न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि यह साबित करने का भार कि कोई किशोर (या निर्धारित आयु से कम) है, यह दावा करने वाले व्यक्ति पर है। इसके अलावा, उस निर्णय में, अदालत ने उन दस्तावेजों के पदानुक्रम का संकेत दिया जिन्हें वरीयता के क्रम में स्वीकार किया जाएगा।

18.1 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि इस बात के प्रमाण का भार कि कोई किशोर (या निर्धारित आयु से कम) है, उसका दावा करने वाले व्यक्ति पर है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि पीड़ित नाबालिग लड़की है, इसलिए, यह साबित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य था कि घटना की तारीख को पीड़ित नाबालिग थी।

19. इस स्तर पर, हम **जया माला** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 9 में निम्नलिखित टिप्पणी की थीः

> "9. नजरबंद व्यक्ति को 18 अक्टूबर, 1981 को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। विशेषज्ञ की रिपोर्ट 3 मई, 1982 की है, जो हिरासत की तारीख के लगभग सात महीने बाद की है। दिन-प्रतिदिन उम्र में बढोतरी अनैच्छिक प्रक्रिया और शरीर की संरचना में शारीरिक परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। सामान्य गणना पर भी, यदि विशेषज्ञ द्वारा बताई गई अनुमानित आयु से सात महीने की कटौती की जाती है, तो अक्टूबर 1981 में बंदी की आयु लगभग 17 वर्ष थी, जिसके परिणामस्वरूप याचिका में दिया गया बयान पूरी तरह से सही साबित होता है हालाँकि, यह कुख्यात है और कोई भी न्यायिक ध्यान दे सकता है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा निर्धारित उम्र में त्रुटियां का अंतर दोनों तरफ दो साल है। निस्संदेह, इसलिए, बंदी एक युवा स्कूल जाने वाला लड़का था। यह समान रूप से प्रतीत होता है कि शैक्षणिक संस्थानों में कुछ उथल-पुथल हुई थी। यह युवा स्कूल जाने वाला लड़का छात्रों के अधिकारों के बारे में उत्साहित हो सकता है और दो अलग-अलग तिथियों को उसने कानून की सीमा को मामूली रूप से पार कर लिया। यह विश्वास करना समझ से परे है कि निवारक निरोध के कठोर उपाय के साथ उनसे मुलाकात की जा सकती है। कोई भी युवा लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर सकता है, अपरिपक्व हो सकता है, थोड़ा गलत हो सकता है, थोड़ा अधिक उत्साही हो सकता है, एक शक्तिशाली के साथ। हमारी राय

में, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निरोध आदेश पूरी तरह से अनुचित था और रद्द किए जाने के योग्य था। ”

19.1 उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि एक न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है कि रेडियोलॉजिकल पर परीक्षा द्वारा निर्धारित उम्र में त्रुटियां का अंतर दोनों तरफ दो साल है।

19.2 वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट को छोड़कर, पीड़ित की उम्र साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। यहां तक कि रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की उम्र 14-16 वर्षों के बीच प्रतीत होती है और इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि पीड़ित का इलाज 16-18 वर्षों के बीच किया जा सकता है। यहां तक कि अभि.सं-6, डॉक्टर ने विशेष रूप से कहा है कि हाल के यौन हमले का कोई सबूत नहीं है और पीड़ित के निजी हिस्से सहित शरीर पर कोई शारीरिक या रासायनिक चोट नहीं है।

20. यह ध्यान देने योग्य है कि अभि.सं.-1, मो. शाहबाज औरअभि.सं.-2, बीबी खातून ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

21. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य को देखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष दोनों अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, निचली अदालत को दोनों वर्तमान अपीलार्थियों को बरी कर देना चाहिए था। हालाँकि, निचली अदालत ने विवादित निर्णय पारित किए हैं और इसलिए, वर्तमान अपीलें दायर की गई हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि निचली अदालत ने विवादित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटियां की है और इसलिए, दोनों निर्णयों को रद्द करने और अलग करने की आवश्यकता है। तदनुसार, दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाता है। विद्वान विशिष्ट विशेष न्यायालय (पाक्सो अधिनियम) सह-7 वें अपर सत्र न्यायाधीश, भागलपुर, द्वारा इस संबंध में दोषसिद्वी का आक्षेपित निर्णय दिनांक 02.05.2023 और सजा का आदेश दिनांक 09.05.2023, सबौर (गोराडीह) थाना से उत्पन्न

पॉक्सों कांड संख्या 31/2023 के संबंध में विद्‌ान विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सों अधिनियम)-सह 7 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भागलपुर, द्‌वारा पारित सजा का फैसला दिनांक 12.07.2023 और सजा का आदेश दिनांक 19.07.2023, सबौर (गोराडीह)से उत्पन्न थाना कांड सं. 321/2020 को दर्‌ और खरिज किया जाता है। अपीलकर्त्ताओं, दीपक कुमार और निकेश मंडल उर्फ निकेश कुमार को विद्‌ान निचली सदालत द्‌वारा लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

21.1 चूंकि ऊपर नामित दोनों अपीलार्थी जेल में हैं, इसलिए उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता हे, यदि किसी अन्य मामले में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति.)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

संजय/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।